यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, श्रीनगर** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, श्रीनगर** के माह **जनवरी 2020 से जनवरी 2021** तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री प्रवीण कुमार, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, श्री प्रवीर घोष, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री विकास कुमार, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 23.02.2021 से 02.03.2021 तक श्री सुधीर श्रीवास्तव, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के अंशकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** कार्यालय **परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, श्रीनगर** के लेखा अभिलेखों की विगत लेखापरीक्षा श्री संतोष कुमार गुप्ता, सहा. लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री ललित मोहन सिंह बिष्ट, सहा. लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा श्री राज बहादुर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 18.01.2020 से 22.01.2020 तक निष्पादित की गई थी, जिसमे माह 04/2016 से माह 12/2019 तक के लेखा अभिलेखो की जांच की गयी थी।

2. **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार:**

परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, श्रीनगर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत संपादित होने वाले विभिन्न पेयजल कार्यों के निर्माण के लिए आवश्यक सर्वेक्षण के उपरांत अधीनस्थ अवर अभियंताओ एवं एवं सहायक अभियन्ताओं के माध्यम से आगणन गठित कर सक्षम स्तर से प्रशासनिक वित्तीय तथा तकनीकी स्वीकृति जारी करने/कराने के लिए उत्तरदायी हैं। समस्त कार्यो के सभी स्तरों पर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। जिलाधिकारी के अधीन कार्यों की प्रगति अनुश्रवण तथा प्रशासनिक निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने के लिए उत्तरदायी है। कार्यों के लिए निर्धारित स्तर से निविदा आमंत्रण कार्य प्रगति, अनुश्रवण तथा मानको से संतुष्ट होने पर भुगतान की कार्यवाही किए जाने हेतु उत्तरदायी हैं।

3. **बजट**

(अ) लेखा परीक्षा अवधि में योजनावार बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**		**मुख्य लेखाशीर्ष**	**स्थापना**		**गैर स्थापना**		**आधिक्य/ स्थापना**	**बचत/ गैर स्थापना**	**टिप्पणी**
	स्थापना	**गैर स्थापना**		**आबंटन**	**व्यय**	**आबंटन**	**व्यय**			
2017-18	**3.174**	**2217.370**	**10200/2003**	**55.48**	**53.55**	**523.46**	**2097.825**	**5.104**	**643.005**	
2018-19	**5.104**	**643.005**		**54.281**	**58.44**	**1633.52**	**1509.073**	**0.945**	**767.452**	
2019-20	**0.945**	**767.452**		**56.581**	**54.048**	**1343.168**	**1269.676**	**3.478**	**840.944**	
2020-21 (01/2021 तक)	**3.478**	**840.944**		**43.365**	**45.73**	**1269.95**	**1126.660**	**1.113**	**984.234**	

4. इकाई को बजट आवंटन केंद्र एव राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई "**A**" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड

↓

प्रबंध निदेशक, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून

↓

मुख्य महाप्रबंधक, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून

↓

महाप्रबंधक, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहारादून

↓

परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून

5. **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में कार्यालय **परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, श्रीनगर** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, श्रीनगर** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। लेखापरीक्षा द्वारा व्यय विवरण के आधार पर सर्वाधिक व्यय वाले माह **अक्टूबर 2020** विस्तृत जांच एवं विश्लेषण हेतु चयन किया गया।

6. लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी. पी. सी. एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियमन-2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

2. **महाप्रबंधक** द्वारा 21.12.2020 तक निरीक्षण किया गया।

3. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी – लागू नहीं

4. फार्म 51:

भाग प्रथम - लागू नहीं

भाग द्वितीय - लागू नहीं

5. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम
(ख) सामग्री क्रय
(ग) नगद परिशोधन
(घ) निक्षेप
(ङ) भण्डार

} लागू नहीं

भाग II (ब)

प्रस्तर -1: अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत धनराशि ₹ 1.05 लाख कम जमा किया जाना।

अंशदायी पेंशन योजना (NPS) के अंतर्गत कर्मचारी द्वारा मूलवेतन एवं महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि के मासिक अंशदान का प्रावधान है, और इसी के समतुल्य मासिक अंशदान का प्रावधान नियोक्ता (Employer) द्वारा था, परंतु उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 169/42/XXVII(10)/2016/2019 दिनांक 12 जून 2019 के द्वारा नियोक्ता द्वारा दिये जाने वाले अंशदान को दिनांक 01 अप्रैल 2019 से मूलवेतन एवं महंगाई भत्ते का 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है, जबकि कर्मचारी के अंशदान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखंड पेयजल निगम, श्रीनगर के अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले अधिकारियों/कार्मिकों के NPS अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि कार्मिकों के निर्धारित अंशदान (10%) की मासिक कटौती उनके वेतन से की जा रही है, परंतु शासनदेशानुसार 01 अप्रैल 2019 से नियोक्ता (Employer/ उत्तराखंड पेयजल निगम) द्वारा निर्धारित पूर्ण अंशदान (14%) मासिक रूप से जमा नहीं कराया जा रहा है व पूर्व से लागू मूलवेतन एवं महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि के मासिक अंशदान ही लेखापरीक्षा तिथि तक (फरवरी 2021) दिया जा रहा है। जिसके फलस्वरूप से कार्मिकों को प्रति माह 4% अंशदान एवं उस पर मिलने वाले लाभ से वंचित रहना पड़ा (सूची संलग्न)। लेखापरीक्षा द्वारा कार्यालय द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों के आधार पर गणना की गई, तो पाया गया कि शासनादेश के नियमों के विरुद्ध कार्मिकों को उत्तराखंड पेयजल निगम (नियोक्ता) द्वारा 01 अप्रैल 2019 से माह नवम्बर 2020 तक कुल धनराशि ₹ 104970/- का कम अंशदान जमा किया गया था।

उक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि संबन्धित प्रकरण पर यथाशीघ्र कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी। इकाई के उत्तर से स्वयं लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि होती है।

अतः अंशदायी पेंशन योजना में कार्यरत कार्मिकों को नियोक्ता द्वारा कम अंशदान धनराशि रु 1.05 लाख का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग II (ब)

प्रस्तर -2 : कार्य के विलंब होने पर परिमार्जन नुकसान (LD) ₹ 12.74 लाख की कटौती ना किया जाना।

कार्यालय परियोजना प्रबंधक, निर्माण इकाई, उत्तराखंड पेयजल निगम, श्रीनगर (गढ़वाल) के माह 11/2019 से माह 01/2021 तक निर्माण कार्यों से संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि कार्यक्रम मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखंड के पत्रांक संख्या – NHM/MoTH/Construction/2018-19/6437 दिनांक 17.01.2018 द्वारा इकाई को पी.एच.सी. घाट परिसर, जिला-चमोली में मेडिकल ऑफिसर ट्रांजिट हॉस्टल के निर्माण कार्य हेतु कार्यादेश दिया गया था। उपरोक्त कार्य को पूर्ण करने के लिए इकाई द्वारा मैसर्स राकेश इंटरप्राइजेज, हरिद्वार के साथ अनुबंध संख्या 33/महाप्रबंधक(गढ़वाल)/2018-19 दिनांक 08.03.2019 को गठित किया गया था। अनुबंध की लागत ₹ 12736967/- तथा कार्य प्रारंभ करने की तिथि 08.03.2018 व कार्य पूर्ण करने की तिथि 07.06.2020 निर्धारित की गई थी। उक्त कार्य को ठेकेदार द्वारा 266 दिनों के विलंब के उपरांत भी लेखापरीक्षा तिथि (फरवरी 2021) तक पूर्ण नहीं किया जा सका तथा ना ही समय वृद्धि के लिए अनुबंध उच्च अधिकारियों से संस्तुति ली गई थी। कार्य के अनुबंध के G.C.C. के बिन्दु 49.1 के प्रावधानों के अनुसार The contractor shall pay liquidated damages to the Engineer/Employer at the rate per day stated in the Contract Data for each day that the Completion Date is later than the intended completion date (for the whole of the works or the milestone as stated in the Contract Data. The total amount of liquidated damages shall not exceed the amount defined in the Contract Data. The Engineer may deduct liquidated damages from payment to the contractor in any of his work/payment. Time is the essence of the contract and payment or deduction of liquidated damages shall not relieve the contractor from his obligation to complete the work as per agreed construction program and milestones or from any other of the contractors obligation and liabilities under the contract.

उक्त Contract Data के अनुसार The liquidated damages for the whole of the work are ₹ 20000.00 per day and the maximum amount of liquidated damages for the whole of the work is 10% of final contract price.

अतः Contract Data के अनुसार प्रतिदिन की दर से फरवरी 2021 तक कुल 266 दिन का परिमार्जन नुकसान (LD) ₹ 5320000/- होता है तथा अनुबंध लागत के 10% के हिसाब से ₹ 1273696/- होता है, जिसकी कटौती इकाई द्वारा ठेकेदार के बिलों से की जानी चाहिए थी जोकि नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि उपरोक्त उपरोक्त कार्य की समय वृद्धि के लिए सक्षम अधिकारी की अनुमति के लिए पत्र प्रेषित किया गया है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कार्य के विलंब होने पूर्व ही समय वृद्धि का अनुमोदन सक्षम अधिकारी से ले लिया जाना चाहिए था।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग II (ब)

प्रस्तर -3 : 05 वर्ष से अधिक समय से धनराशि ₹ 1.21 करोड़ का अवरोधन किया जाना।

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, श्रीनगर के निक्षेप निर्माण कार्यों से संबन्धित अभिलेखों की जांच के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि कार्यालय द्वारा गोपेश्वर में पर्यटक अतिथि गृह (TGH)/पर्यटक सुविधा केंद्र के निर्माण के लिए Detailed Project Report पत्रांक संख्या 2744/G-6/128 दिनांक 30.09.2015 द्वारा जिला पर्यटन विकास अधिकारी, गोपेश्वर (चमोली) को प्रेषित की गयी थी जिसको अनुमोदित करते हुये जिलाधिकारी चमोली के द्वारा शासनादेश संख्या 584/xxvii(1)/2015 दिनांक 14.05.2015 के क्रम में अपने पत्रांक जिला योजना/2015-16 दिनांक 04.10.2015 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुमोदित धनराशि ₹ 125.00 लाख के सापेक्ष ₹ 62.50 लाख अवमुक्त किए गए थे तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या 385/जि.यो./वि.-प्रा./2015-16 दिनांक 11.03.2016 के द्वारा द्वितीय किस्त के रूप में धनराशि ₹ 62.50 लाख अवमुक्त किए गए थे।

आगे लेखापरीक्षा के द्वारा यह पाया गया उक्त TGH गोपेश्वर भवन के निर्माण के संबंध में निविदा 16 अक्तूबर 2015 को जारी की गयी थी, जिसके फलस्वरूप इकाई द्वारा ठेकेदार मैसर्स अशोक सिंह रावत, चमोली से उक्त कार्य के लिए अनुबंध संख्या 16/PM/2018-19 दिनांक 28.08.2018 गठित किया गया था। अनुबंध की धनराशि ₹ 5180320/- थी तथा कार्य प्रारम्भ करने की तिथि 29.08.2018 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 28.08.2019 थी। उक्त निर्माण हेतु वन भूमि पर्यटन विभाग को उत्तराखंड सरकार के शासनादेश संख्या 998/X-4-18/1(325)/2016 दिनांक 11.10.2018 के द्वारा हस्तांतरित कर दिया गया था परंतु उसके 02 वर्ष बीत जाने के भी लेखापरीक्षा तिथि (फरवरी 2021) तक उपरोक्त कार्य को प्रारम्भ नहीं किया जा सका है जबकि उक्त कार्य के लिए धनराशि ग्राहक विभाग द्वारा अक्टूबर 2016 में ही अवमुक्त कर दी गयी थी तथा धनराशि ₹ 1.21 करोड़ इकाई के पास अवरुद्ध पड़ी हुयी है ।

उक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि अनुबंध के उपरांत प्रस्तावित भूमि पर स्थानीय व्यक्ति के द्वारा विवाद के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं कराया जा सका है। इकाई के उत्तर से ही लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि होती है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम संख्या	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर का विवरण		
		भाग –II (अ)	भाग –II (ब)	STAN
1	29/2009-10	शून्य	4,5	शून्य
2	12/2010-11	शून्य	1,2,3,4,5,6	शून्य
3	28/2012-13	शून्य	1	शून्य
4	75/2014-15	1	शून्य	शून्य
5	95/2016-17	शून्य	शून्य	01

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
शून्य				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.....शून्य.....

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, श्रीनगर** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः शून्य

2. सतत् अनियमितताएः शून्य

3. विगत लेखा परीक्षा से वर्तमान तक निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष एवं आहरण एवं वितरण अधिकारी का कार्यभार वहन किया गया:

<u>क्र.सं.</u>	**<u>नाम</u>**	**<u>पदनाम</u>**	**<u>अवधि</u>**
i.	**इं पी.के.अग्रवाल**	**परियोजना प्रबन्धक**	**22.12.2019 से 02.03.20201 तक**

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका, उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय **परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, श्रीनगर** को इस आशय से प्रेषित है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उप महालेखाकार, आर्थिक क्षेत्र-2, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-2481095** को प्रेषित किया जाए।

व. लेखापरीक्षा अधिकारी
AMG-II(Non-PSU)